भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2310
दिनांक 13 मार्च, 2025

झारखंड में पीएमयूवाई के तहत एलपीजी कनेक्शन

2310. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड राज्य में, विशेषकर गिरिंडीह लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शनों से लाभान्वित परिवारों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्तमान में कितने घर/परिवार अपने एलपीजी गैस सिलेंडरों को पुन: भरवाते हैं और अपने एलपीजी कनेक्शनों का उपयोग करते हैं; और

(ग) क्या उज्ज्वला योजना की शुरुआत से पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा एलपीजी की खपत कम हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग): पूरे देश में गरीब परिवारों की महिला सदस्यों को बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) शुरू की गई थी। पीएमयूवाई के तहत 8 करोड़ कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य सितंबर, 2019 में हासिल कर लिया गया था। शेष गरीब परिवारों को शामिल करने के लिए 1 करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य के साथ अगस्त, 2021 में उज्ज्वला 2.0 की शुरूआत की गई थी, जिसे जनवरी, 2022 में हासिल कर लिया गया था। इसके साथ ही सरकार ने उज्ज्वला 2.0 के तहत और 60 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया तथा दिसंबर 2022 के दौरान उज्ज्वला 2.0 के तहत 1.60 करोड़ कनेक्शन के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने पीएमयूवाई योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन जारी करने को अनुमोदित कर दिया था जिसे पहले ही जुलाई, 2024 के दौरान हासिल किया जा चुका है। दिनांक 01.03.2025 की स्थिति के अनुसार, झारखंड राज्य में 38.95 लाख कनेक्शन सहित देश भर में 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन जारी किए गए हैं। गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिले (जिसमें गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र शामिल है) में पीएमयूवाई योजना के तहत एलपीजी कनेकशन जारी किए जाते हैं। पीएमयूवाई लाभार्थियों की एलपीजी की खपत की निगरानी नियमित आधार पर की जाती है। परिवारों द्वारा घरेलू एलपीजी की खपत विभिन्न कारकों जैसे खान-पान की आदतें, परिवारों का आकार, खाना पकाने की आदतें, परंपरा, आस्वाद, स्वाद, वरीयता मूल्य, वैकल्पिक ईंधनों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है।

देश भर में एलपीजी तक पहुँच को समुन्नत करने के उद्देश्य से, अन्य बातों के साथ-साथ पीएमयूवाई को प्रोत्साहित करने के निमित्त अभियान चलाना, कनेक्शनों का नामांकन और वितरित करने के निमित्त मेला/शिविर आयोजित करना, आउट ऑफ होम (ओओएच) होर्डिंगों, रेडियो जिंगलों, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) वैनों आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना, अन्य पारंपरिक ईंधनों की तुलना में एलपीजी का उपयोग करने के लाभों और एलपीजी पंचायतों के माध्यम से एलपीजी का सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नामांकन/जागरूकता शिविर, पीएमयूवाई कनेक्शन प्राप्त करने के निमित्त आधार नामांकन और बैंक खाता खोलने के लिए उपभोक्ताओं और उनके परिवारों को सुविधा प्रदान करना, एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण, www.pmuy.gov.in पर पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन, निकटतम एलपीजी वितरक, जन सहायता केन्द्र (सीएससी) इत्यादि, 5 किलोग्राम के डबल बॉटल कनेक्शन (डीबीसी) का विकल्प, 14.2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम के सिलेंडर में अदला-बदली का विकल्प और प्रवासी परिवारों के लिए निवास प्रमाण और राशन कार्ड के बजाय स्व-घोषणा के आधार पर नया कनेक्शन प्राप्त करने की सुविधा आदि शामिल हैं। इसके अलावा, ओएमसीज लगातार नए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, शुरू कर रही हैं। पीएमयूवाई योजना की शुरुआत से ही, ओएमसीज ने पूरे देश में 7959 डिस्ट्रीब्यूटरशिपों (दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 31.12.2024 के दौरान शुरू किए गए) की शुरूआत की है, जिनमें से 7373 (अर्थात 93%) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को और अधिक किफायती बनाने तथा उनके द्वारा एलपीजी का निर्बाध उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सरकार ने मई, 2022 में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 200 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर (तथा 5 किलोग्राम वाले कनेक्शनों के लिए समानुपातिक यथा निर्धारित) की निर्धारित राजसहायता की शुरूआत की। अक्टूबर, 2023 में, सरकार ने प्रति वर्ष 12 रीफिलों तक प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए तक(तथा 5 किलोग्राम सिलेण्डर के लिए समानुपातिक यथानिर्धारित) निर्धारित राजसहायता को बढ़ा दिया है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए 300 रुपए प्रति सिलेण्डर की निर्धारित राजसहायता के बाद, भारत सरकार 503 रुपए प्रति सिलेण्डर (दिल्ली में) के प्रभावी मूल्य पर 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर प्रदान कर रही है। यह देश में 10.33 करोड़ से अधिक उज्ज्वला लाभार्थियों को उपलब्ध है।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी तक पहुँच और वहनीयता सुनिश्चित करने के परिणामस्वरूप, पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति व्यक्ति खपत (प्रति वर्ष लिए गए 14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर के संदर्भ में) 3.68 (वित्त वर्ष 2021-22) से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 3.95 और वित्त वर्ष 2024-25 (जनवरी, 2025 तक) में 4.34 हो गई है।

****

अनुलग्नक-क

"झारखंड में पीएमयूवाई के तहत एलपीजी कनेक्शन" के संबंध में श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा दिनांक 13.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2310 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

जिला	पीएमयूवाई कनेक्शनों की संख्या
गिरिडीह	**3.37 लाख**
बोकारो	**2.17 लाख**
धनबाद	**2.48 लाख**

स्रोत: उद्योग आधार पर आईओसीएल

*****

अनुलग्नक-ख

"झारखंड में पीएमयूवाई के तहत एलपीजी कनेक्शन" के संबंध में श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा दिनांक 13.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2310 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

जिला/राज्य	वित्त वर्ष 2023-24	
	पीएमयूवाई ग्राहक (क)	(क) में से रिफिल लेने वाले ग्राहक
गिरिडीह, झारखंड	2,17,303	1,51,275
बोकारो, झारखंड	2,48,948	1,86,541
धनबाद, झारखंड	3,35,947	2,45,003
झारखंड राज्य	**38,95,366**	**29,35,533**

स्रोत: उद्योग आधार पर आईओसीएल

*****